प्रेस नोट दिनांक 30–07–2019

थाना चिलकाना पुलिस व अभिसूचना विंग की संयुक्त टीम द्वारा 04 शातिर अभियुक्तो को चोरी के 34 मोबाइल फोन व 107600/–रुपये की जाली भारतीय करेंसी व जाली करेंसी छापने के उपकरण सहित किया गिरफ्तारः–

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा अपराधियो के विरुद्व चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अन्तर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक, नगर श्री विनित भटनागर व क्षेत्राधिकारी सदर श्री चोब सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 29–07–2019 को समय 16.45 बजे थाना चिलकाना पुलिस व अभिसूचना विंग की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर साईफन पुलिया के पास से 04 शातिर अभियुक्त 1–अहतेश्याम पुत्र मुस्तकीम निवासी अहमदनगर खाताखेड़ी थाना मण्डी, सहारनपुर 2–शोएब पुत्र सलीम निवासी शिवधाम कालोनी कलसिया रोड़ थाना मण्डी, सहारनपुर 3–संदीप पुत्र अशोक अरोड़ा निवासी गोपाल मन्दिर के पास नुमाईश कैम्प थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर 4–गुरदीप पुत्र अशोक अरोड़ा निवासी गोपाल मन्दिर के पास नुमाईश कैम्प थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर को IMEI चेंज किये गये विभिन्न कम्पनी व मॉडल के 34 मोबाइल फोन व 107600/–रुपये की जाली भारतीय करेंसी के साथ गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तो की निशादेही पर घण्टाघर के पास सिटी प्लाजा में स्थित दुकान से 01 प्रिन्टर स्कैनर, 01 लैपटाप, 04 पेपर पर 08 अधबने नोट बरामद किये गये है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 285/2019 धारा 414/420/468/471 भादवि व मु0अ0सं0 486/2019 धारा 489क/489ख/489ग/489घ भादवि पंजीकृत किये गये है।

गिरफ्तार अभियुक्तो का नाम व पताः–

1–अहतेश्याम पुत्र मुस्तकीम निवासी अहमदनगर खाताखेड़ी थाना मण्डी, सहारनपुर।
2–शोएब पुत्र सलीम निवासी शिवधाम कालोनी कलसिया रोड़ थाना मण्डी, सहारनपुर।
3–संदीप पुत्र अशोक अरोड़ा निवासी गोपाल मन्दिर के पास नुमाईश कैम्प थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर।
4–गुरदीप पुत्र अशोक अरोड़ा निवासी गोपाल मन्दिर के पास नुमाईश कैम्प थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः–

1– 34 अद्द चोरी के मोबाइल फोन विभिन्न कम्पनी व मॉडल के।
2– 107600/–रुपये की जाली भारतीय करेंसी।
3– 01 प्रिन्टर स्कैनर, 01 लैपटाप।
4– 04 पेपर पर 08 अधबने नोट।

पूछताछ विवरणः–

गिरफ्तार अभियुक्त अहतेश्याम, संदीप व गुरदीप चोरी किये हुये मोबाइल फोन का मदर बोर्ड बदलकर IMEI चेंज कर देते थे व अभियुक्त अहतेश्याम इन मोबाइलो के फर्जी बिल तैयार कराकर मोबाइलो की सप्लाई करता था। इस प्रकार गिरफ्तार अभियुक्त संगठित गिरोह बनाकर अवैध लाभ अर्जित कर रहे थे। अभियुक्त संदीप व गुरदीप नकली नोटो का कारोबार कर जाली भारतीय करेंसी तैयार कर भारतीय अर्थव्यवस्था को हानि पहुँचा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अभियुक्त है, जिनके आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है। अभियुक्तो से विस्तृत पूछताछ जारी है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः–

1–श्री मनोज चौधरी थाना प्रभारी चिलकाना, सहारनपुर।
2–व0उ0नि0 श्री ओमेन्द्र सिंह थाना चिलकाना, सहारनपुर।
3–उ0नि0 श्री सचिन शर्मा थाना चिलकाना, सहारनपुर।
4–उ0नि0 श्री नरेश पाल सिंह थाना चिलकाना, सहारनपुर।
5–का0 1774 दीपक थाना चिलकाना, सहारनपुर।
6–का0 989 रजनीश कुमार थाना चिलकाना, सहारनपुर।
7–का0 866 मोहित कुमार अभिसूचना विंग, सहारनपुर।
8–का0 249 कुनाल मलिक अभिसूचना विंग, सहारनपुर।